

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 106/2023

1. राहुल कुमार उम्र 23 वर्ष पुत्र इन्द्रजीत जाति बिश्नोई साकिन 21 एम.ओ.डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
2. विक्षित उम्र 20 वर्ष पुत्र इन्द्रजीत जाति बिश्नोई साकिन 21 एम.ओ.डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

---वादीगण

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र लाजपतराम जाति बिश्नोई साकिन 21 एम.ओ.डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
2. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

---प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :-88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
निर्णय

दिनांक :- 26/6/24


वादी की ओर से श्री हरजिन्द्र रमाण अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री नवीन कुमार जैन अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित चक 21 एम.ओ.डी के खाता सं. 9/5 के प.न. 10/270 (55) के किला न. 11 ता 14, 15/1/228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17, 18, 19, 20, 21/1/215, 21/2/.038, 22/1/215, 22/2/.038, 23/1/.215, 23/2/.038, 24/1/215, 24/2/.038, 25/1/190, 25/2/038, 25/3/025 की कुल 3.795 हैक. नहरी व प.न 10/271 के मु.न. 60 के किला न. 1 ता 20 की कुल 5.060 हैक. नहरी इस प्रकार दोनो पत्थरो की कुल 8.855 हैक. नहरी मय गैर मु. खाला रास्ता कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। व प्रतिवादी सं. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 4 एल.के.एस-बी के संयुक्त खाता सं. 33/18 के प.न. 15/276 (29) के किला न. 6/1/114, 6/2/.025, 7/1/.177, 7/2/.025, 8/1/.025, 11/1/.190, 11/2/.025, 12/1/.089, 12/2/025, 13/1/.026, 13/2/025, की कुल 0.746 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता में प्रतिवादी सं. 1 का 1/10 हिस्सा यानि 0.074 हैक. नहरी मय गैर मु. खाला रास्ता कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है, व इसी चक के संयुक्त खाता सं. 32/58 के प.न. 15/275 के मु.न. 28 के किला न. 3, 4, 5/1/228, 5/2/025, 6/1/228, 6/2/.025, 7, 8, 13, 14 की कुल 1.8980 हैक. नहरी मय गैर मु रास्ता कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 95/949 हिस्सा यानि 0.190 हैक. नहरी मय गैर मु रास्ता कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। व प्रतिवादी सं. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 21 एम.ओ.डी के संयुक्त खाता सं. 10/6 के प.न. 11/271 (59) के किला न. 1 ता 4, 5/1/228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7 ज 14, 15/1/215, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 24, 25/1/.2405, 25/2/0125 की कुल 6.325 हैक. नहरी मय गैर मु. रास्ता कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 7/25 हिस्सा यानि 1.771 हैक. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, यह कि वाद पत्र की दफा 4 ता 6 प्रतिवादी सं. 1 इन्द्रजीत के नाम कुल 10.890 हैक, नहरी मय गैर मु. खाला रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को ब.हि.ब प्रत्येक 1/3 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया किये जाते हैं

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किया जाने तथा भूमि की किस्म अथवा नहरी / बाराही / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी
अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

अच्छी फरीकत अपना अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 26/6/24 को मेरे
हस्ताक्षर से और अयालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अमिता बिश्नोई आर ए एस)
उपखण्ड सहायक कलेक्टर एवं
पदे सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा